भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2659
मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी

†2659. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की अनुमानित प्रतिशत हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से निधि जारी करने और उसके उपयोग पर नज़र रखने से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का अनिवार्य पंजीकरण निधियों के निर्बाध प्रत्यक्ष हस्तांतरण और व्यय की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा प्रदान करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत के कृषि, उर्वरक और डेयरी उद्योगों को मजबूत बनाने में सहकारी क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कृषि ऋण, चीनी उत्पादन और गेहूँ खरीद जैसे क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र के योगदान के रिपोर्ट किए गए आँकड़े इन क्षेत्रों में सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क), (घ) तथा (ङ): वर्तमान में, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सहकारी क्षेत्र के योगदान का आकलन करने के लिए अलग से कोई डाटाबेस नहीं रखा जाता है। अतः सकल घरेलू उत्पाद(GDP) के प्रतिशत में सहकारी क्षेत्र के योगदान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा 2018 में प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन पर स्टैटिस्टिकल प्रोफ़ाइल-2018 के अनुसार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों की अनुमानित प्रतिशत हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी का प्रतिशत

सहकारी क्षेत्र	**प्रतिशत (%)**
सहकारी समितियों द्वारा संवितरित **कुल कृषि ऋण** (2016-2017)	13.40
सहकारी समितियों द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को संवितरित **अल्पावधि कृषि ऋण**	19.13
सहकारी बैंकों + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी **किसान क्रेडिट कार्ड** (मार्च, 2017 के अंत तक)	67.30
सहकारी समितियों द्वारा जारी **किसान क्रेडिट कार्ड** (मार्च, 2017 के अंत तक)	50.20
उर्वरक वितरण (2016-2017) अनुमानित	35.00
उर्वरक उत्पादन क्षमता (वर्ष 2016-17 के लिए 5.35 मिलियन टन)	24.92
उर्वरक उत्पादन (वर्ष 2016-17 के लिए 51.62 मिलियन टन)	28.80
उर्वरक उत्पादों की क्षमता (वर्ष 2016-17 के लिए 10.77 मिलियन टन)	20.32
उर्वरक विनिर्माण इकाइयों की संस्थापित क्षमता (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 3.638 मिलियन टन एन. पोषकतत्व)	25.60
उर्वरक निर्माण इकाइयों की संस्थापित क्षमता (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 1.713 मिलियन टन, पी. पोषकतत्व)	23.53
संस्थापित चीनी कारखानों की संख्या (दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 284)	38.63
उत्पादित चीनी (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 5.654 मिलियन टन)	30.60
चीनी मिलों की क्षमता उपयोगिता (दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार)	46.14
सहकारी समितियों द्वारा प्रापण किए गए कुल दूध में से **तरल दूध का विपणन**	84.17
कुल उत्पादन का दुग्ध प्रापण (2016-17)	9.50
विपणन योग्य अधिशेष का दुग्ध प्रापण (2016-17)	17.50
भंडारण सुविधा वाले पैक्स (ग्राम स्तर पर) (2016-17)	55.50
सहकारी क्षेत्र की **कुल भंडारण क्षमता** (2016-17) 22.77 मिलियन मीट्रिक टन	14.79
सहकारी समितियों में मछुआरे (सक्रिय)	20.05
गेहूं का प्रापण (2017-18 के दौरान 4.4 मिलियन टन)	13.30
धान का पापण (2016-17 के दौरान 7.5 मिलियन टन)	20.40

खुदरा उचित मूल्य की दुकानें (ग्रामीण + शहरी)	20.30
सहकारी समितियों में कताई करने वाली मशीनें (Spindleadge) दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार-3.56 मिलियन)	29.34
सहकारी समितियों द्वारा **सृजित प्रत्यक्ष रोजगार**	13.30
व्यक्तियों के लिए सृजित **स्व-रोजगार**	10.91

(ख): जी हाँ मान्यवर, PFMS एक वेब-आधारित वित्तीय प्रबंधन एप्लिकेशन है जिसे लेखा महानियंत्रक (CGA), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है । PFMS एक केंद्रीकृत लेनदेन प्रणाली और प्लेटफॉर्म है, जो सभी हितधारकों को वित्तीय प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है । PFMS की शुरुआत भारत सरकार की सभी योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों पर नजर रखने और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की रियल टाइम रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई थी ।
SNA/CNA/TSA/SNA-SPARSH पीएफएमएस की विभिन्न निधि प्रवाह और रिलीज प्रणाली की रियल टाइम निगरानी हैं ।

(ग): जी हाँ मान्यवर, दिनांक 12.09.2017 के व्यय विभाग (DoE) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 48(06)/PF-II/2016 के अनुसार सभी केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं तथा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों का सभी स्तरों पर PFMS में पंजीकरण अनिवार्य है, तथा इन सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा EAT मॉड्यूल (Expenditure, Advance and Transfer Module) का उपयोग करना भी अनिवार्य है । PFMS/EAT मॉड्यूल धनराशि की अंतिम चरण तक पूरी निगरानी तथा निधियों का समय पर जारी किया जाना भी सुनिश्चित करता है ।

*****